<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>02.01.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोलकाता ने सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में नोएडा में स्थित वाणिज्यिक संपत्तियों, पश्चिम बंगाल के मालदा में भूमि पार्सल और भवन को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसकी कीमत **8.20 करोड़ रुपये** है। यह घोटाला मेसर्स एनडी इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। यह कंपनी नीलाद्री दास और उनके परिवार के सदस्यों और अब्दुल खालिक और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा विभिन्न धाराओं आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला सहायक शिक्षक (कक्षा IX से XII) की कथित अवैध नियुक्ति का है, जिसमें अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति देने और योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करने का आरोप है। आरोपों में निष्पक्षता बनाए रखे बिना, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश में और संबंधित नियमों का उल्लंघन करके नियुक्ति शामिल है।

ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स एनवाईएसए कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन उपाध्यक्ष नीलाद्रि दास ने डब्ल्यूबीसीएसएससी के तत्कालीन अधिकारियों के साथ साजिश रची और कक्षा IX-X और कक्षा XI-XII के उम्मीदवारों की ओएमआर शीट में हेराफेरी की और एसपी सिन्हा और अन्य के साथ आपराधिक साजिश रची और अवैध नियुक्तियों के बदले अयोग्य उम्मीदवारों से भारी मात्रा में धन एकत्र किया और योग्य उम्मीदवारों को धोखा दिया।

ईडी ने पहले इस मामले में **230.6 करोड़** की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा, ईडी ने इस मामले में **प्रसन्ना कुमार रॉय** (उम्मीदवारों से धन और विवरण एकत्र करने में शामिल मुख्य बिचौलिया) और **शांति प्रसाद सिन्हा** [डब्ल्यूबीसीएसएससी के तत्कालीन सलाहकार) को भी गिरफ्तार किया है और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में कुल जब्ती 238.8 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।